दीवानी वाद संख्या 121/14
अरविन्द जैन बनाम पी. कुमार
दिनांक 08-10-2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 का जबाब पेश नहीं किया, पूर्व मे पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। जबाब का अवसर बंद किया जाता है। उक्त आवेदन पर सुना गया।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध 14,05,000/- रूपये की वसूली का वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या एक ने वादी का आवासीय भूखण्ड हेतु एक इकरारनामा दिनांक 23-1-2012 को 20,000/-रूपये प्रति वर्गगज की दर से कुल यानि 55,61,000/-रूपये मे निष्पादित किया था। प्रतिवादी संख्या दो ने अपने लिखित कथन मे यह अंकित किया है कि उसने वादी को दिनांक 14-3-2012 को 14,50,000/-रूपये नगद अदा कर दिये तथा शेष रकम अगले दिन होने पर आश्वासन दिया तथा शेष रकम दिनांक 15-3-2012 को 4,50,000/-रूपये अदा कर दिये कुल 19,00,000/- रूपये अदा करने के बाद भी वादी ने प्रतिवादी द्वारा दिये गये चैक को नहीं लौटाया। न्यायालय द्वारा जो विवाद्यक कायम किये गये है उनमे इन अभिकथनों पर कोई विवाद्यक नहीं बनाया गया है, प्रार्थना पत्र मे निम्नलिखित विवाद्यक प्रस्तावित किया गया--

''आया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 14-03-2012 को समस्त प्रतिफल की राशि 19,00,000/- रूपये अदा कर दिये है और प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र का सम्पूर्ण प्रतिफल वादी ने प्राप्त कर लिया है?''

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि विक्रय पत्र के पंजीयन हेतु शेष राशि 14,05,000/-रूपये का चैक जो वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित किया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 के खाते का प्रतिवादी संख्या1 द्वारा वादी को दिलाये जाने का अभिवचन किया गया है।वादी द्वारा चैक राशि 14,05,000 रूपये अदा नहीं किये जाने व चैक दिये जाने का कथन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने लिखित कथन मे यह कथन करता है कि दिनांक 14-3-2012 को 14,50,000/ रूपये व शेष राशि 4,50,000 रूपये वादी को दिनांक 15-3-2012 को अदा कर दिये गये और चैक नहीं लौटाये।

08.10.25
विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या-2, अजमेर

जो विवाद्यक कायम किये गये है उसमे विवाद्यक संख्या एक इस प्रकार रहा है--

आया वादी प्रतिवादी से 14,05,000/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है?

यह राशि प्रतिवादी संख्या दो ने वादी को अदा कर दी थी, यह बचाव का आधार रहा है, जबकि हस्तगत प्रकरण मे वादी को अपना वाद साबित करना है कि उक्त राशि प्रतिवादी मे बकाया रही है। विवाद्यक के खण्डन में विवाद्यक विरचित नहीं किया जा सकता है, जिस पक्षकार पर जो तथ्य साबित करने का भार होता है,वह विवाद्यक उसी रूप मे मूर्तिब होता है। इसलिए विवाद्यक संख्या एक जो पूर्व से निर्मित है वह यथोचित है जिसमे हस्तगत प्रार्थनापत्र मे सुझाये गये विवाद्यक की विषयवस्तु भी मौजूद है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. तथ्यात्मक बल नहीं रखने से खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

चूँकि आवेदन युक्तियुक्त नहीं होने से प्रकरण जो लक्षित रहा है, उसमे विलम्ब कारित हुआ है इसलिए दो हजार रूपये की कोस्ट प्रतिवादी संख्या 2 पर अधिरोपित की जाती है। कोस्ट की अदायगी वाद की कार्यवाही मे भाग लेने की पूर्ववर्ती शर्त होगी। पूर्व मे प्रतिवादी को दो हजार रूपये की कोस्ट पर अवसर दिया गया था। आइन्दा अवसर ग्राहय नहीं होगा।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 30-10-25 को पेश हो।

08.10.25

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या-2, अजमेर